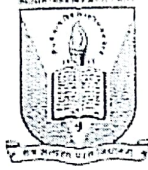


संख्या: ई०स०-२५८६/जी०एस०

जौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति
CHANCELLOR



प्रमुख
मुख्य
मुख्य
मुख्य

6/12/06

12/12/06

संख्या: ई०स०-२५८६/जी०एस०

दिनांक: ३०/११/२००६

5386 (1)
12/12/06

आदेश

433

हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, 773, दिल्ली-हापुड़ बाईपास, 26 माईल स्टोन, एन०एच०-24, गाजियाबाद को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के "परन्तुक" के अधीन दिनांक 1-7-2004 से एक वर्ष की अवधि हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-4607/ 70-2-2004-3(19)/2004 दिनांक 4-1-2005 के क्रम में मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा संस्था की जाँच करायी गयी। जाँच के समय संस्था में पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उक्त संस्था की सम्बद्धता उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(9) के अन्तर्गत समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आख्या के सम्यक विचारोपरान्त आदेश संख्या: ई०स०-432/ जी०एस० दिनांक 23-3-2006 के द्वारा संस्था को बी०एड० पाठ्यक्रम में सत्र 2005-06 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने की पूर्व अनुज्ञा प्रदान नहीं की गयी।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की गयी नवीनतम आख्या दिनांक 06-11-2006 को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त आदेश संख्या ई.स०-432/जी.एस. दिनांक 23-3-2006 जिसके द्वारा संस्था को बी०एड० पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2005-06 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्रदान नहीं की गयी थी, को निरस्त किया जाता है तथा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37 (2) के अधीन हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, 773, दिल्ली-हापुड़ बाईपास, 26 माईल स्टोन, एन०एच०-24, गाजियाबाद

A-655

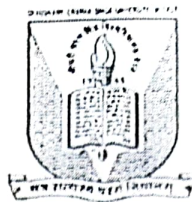
13/12/06

9/12/06

12/12/06

Principal

Hi-Tech Institute of Engg. & Tech.
Delhi-Hapur Bypass (PH-14)
Ghaziabad (U.P.)



- 2 -

को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी०एड० पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2005-06 (दिनांक 1-7-2005) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय/संस्था को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा आरक्षण नियमों का विधिवत पालन किया जायेगा तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

434

हो
(टी० वी० राजेस्वर)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- 2- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 4-ए, शान्तिपथ तिलकनगर, जयपुर।
- 4- प्रबन्धक/प्राचार्य, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, 773, दिल्ली-हापुड़ बाईपास, 26 माईल स्टोन, एन० एच० -24, गाजियाबाद।

Registration

8/12/06

कुलपति

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ।

(लल वरमा)

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव

Principal

M-Tech Institute of Engg. & Tech.
Delhi-Hapur Bypass (NH-24)
Ghaziabad (U.P.)-201002